



// कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश सं० 409/फा०स०-1117/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2019-20 लखनऊ दिनांक 27 मई, 2019 एवं आदेश सं०-2917/फा०स०-1117/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2019-20 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2020 के क्रम में विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन हेतु पूर्व में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति में सम्मिलित कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यकाल को माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में एक कार्यकाल (02 वर्ष) हेतु पुनः नामित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

| 03 यूनिट-छात्र हेतु   |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| क्रम सं०              | शिक्षकवृन्द का नाम  | नामित पद का विवरण |
| 1                     | डॉ० विपिन कुमार पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग, कला एवं संगीत संकाय | कार्यक्रम अधिकारी |
| 2                     | डॉ० पुष्पेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय।      | कार्यक्रम अधिकारी |
| 3                     | श्री निशान्त भोला, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबन्धशास्त्र विभाग   | कार्यक्रम अधिकारी |
| 02 यूनिट -छात्रा हेतु |   |                   |
| 4                     | डॉ० विनोदिनी कटियार, एसोसिएट प्रोफेसर, सूचाना प्रौद्योगिकी विभाग, कम्प्यूटर एवं प्रौद्योगिकी संकाय। | कार्यक्रम अधिकारी |
| 5                     | डॉ० अन्जलि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग  | कार्यक्रम अधिकारी |

उपर्युक्त नामित कार्यक्रम अधिकारियों को इस कार्य हेतु कोई विशेष वेतन अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव।

पत्रांक सं० 961/पत्रा० सं०-1117/रा०स०यो०कोष्ठक/डॉ.श.मि.रा.पु.वि.वि./2021-22, दिनांक: 10 सितम्बर, 2021  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द।
6. सिस्सटम सनालिस्ट को, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव।